न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : लक्ष्मीकान्त कटारा , आर.ए.एस.
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2019/00261
पत्थरगढ़ी प्रार्थना पत्र संख्या :– 39/2019

प्रदीप कुमार वर्मा पुत्र श्री गिरधारी लाल जाति बलाई निवासी ग्राम सिरसली तहसील आमेर जिला जयपुर।

– – – प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर
2. बंशीधर पुत्र सुवालाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम डाबडी तहसील आमेर जिला जयपुर।

– – – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 सपठित धारा 111 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक :–06.01.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत् पत्थरगढी का प्रस्तुत कर कथन किया है कि माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, आमेर द्वारा वाद संख्या 273/16 उनवानी बंशीधर बनाम प्रदीप वगैहरा में दिनांक 09.06.2017 को निर्णय पारित यिा जाकर आदेशित किया गया है कि उभय पक्ष विधिवत सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाये व अपने–अपने कब्जेकाश्त व सीमा में रहें। प्रार्थी द्वारा उक्त आदेशों की पालना में श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रार्थी की भूमि का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तत्पश्चात श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय द्वारा पारित आदेश क्रमांक एलआर/2019/535–536 दिनांक 17.06.19 की पालना में हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 19.6.19 को प्रार्थी की ग्राम रामपुरा डाबडी तहसील आमेर जिला जयपुर के खसरा नम्बर 616/882 रकबा 0.07 है0 व खसरा नम्बर 658/881 रकबा 0.04 है0 भूमि का सीमाज्ञान किया गया है।

श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय व हल्का पटवारी महोदय व हल्का पटवारी महोदय से प्रार्थी द्वारा उक्त वर्णित खसरा नम्बरों की कृषि भूमि की

पत्थरगढी के आदेश पारित किये जाने का विषय श्रीमानजी के अधिकार क्षेत्र में होने का कथन करते हुये प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढी किये जाने के लिये इंकार कर दिया है इसलिये प्रार्थी की ग्राम रामपुरा डाबडी तहसील आमेर जिला जयपुर के खसरा नम्बर 616/882 रकबा 0.07 है0 व खसरा नम्बर 658/881 रकबा 0.04 है0 कृषि भूमि का आपके अधीनस्थ तहसीलदा/नायब तहसीलदार व हल्का पटवारी से मय पुलिस जाब्ता (थाना चौमू जिला जयपुर) पत्थरगढी करवाये जाने की कृपा करें। जिससे प्रार्थी अनुसूचित जाति के कृषक को न्याय मिल सकें।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की कृषि भूमि की पत्थरगढी करवाकर पालना रिपोर्ट मंगवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी की गई। अप्रार्थीगण 02 नोटिस तामिल के बावजूद उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 23.12.2020 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी सं0 01 तहसीलदार आमेर से प्रार्थना पत्र की बिन्दूवार तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई जो उनके पत्र क्रमांक भू.अ./19/6874 दिनांक 31.12.2019 के द्वारा भिजवाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक ग्राम रामपुरा डाबडी तहसील आमेर के खसरा नम्बर 616/882 रकबा 0.07 हैक्ट0 प्रदीप कुमार पुत्र गिरधारीलाल जाति बलाई की खातेदारी में तथा खसरा नम्बर 658/881 रकबा 0.04 हैक्ट0 में प्रदीप कुमार हिस्सा 68/98 तथा कमला पत्नी प्रभूदयाल, संतोष पत्नी ग्यारसीलाल, सावित्री पत्नी मगनलाल समस्त जाति बलाई हिस्सा 30/98 की खातेदारी में दर्ज है। इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 536 दिनांक 17.06.19 की पालना में प.ह. द्वारा दिनांक 19.06.19 को प्रार्थी खातेदारों व अन्य उपस्थित लोगों की मौजूदगी में सीमाज्ञान करवा दिया गया था। उक्त खसरा नम्बरान के समीप स्थित खसरा नम्बर 616, 658 व 615 है।

हमने प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से बहस सुनी गयी व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी की खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 19.06.2019 को किया जा चुका है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पत्थरगढी न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार आमेर को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 616/882 रकबा 0.07 हैक्ट0, खसरा नम्बर 658/881 रकबा 0.04 हैक्ट0 वाके ग्राम रामपुरा डाबडी तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित की फीस पत्थरगढी प्राप्त कर राजकोष में नियमानुसार जमा करवाये तथा पत्थरगढी की कार्यवाही से पूर्व पडोसी

खातेदारान को विधिवत नोटिस व सूचना दिया जाकर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में सम्पादित करावें तथा मौके पर शांति भंग होने की स्थिति में संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त कर पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पादित करें। आदेश सुनाया गया।

आज दिनांक 06.01.2021 को निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।